

पत्रांक :-3/वि1-05/2018(उ0शि0) 64/944

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

गरिमा सिंह,
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा),
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 16/05/2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना मद में व्यय हेतु बजट उपबंध की कुल राशि रु0 21,26,000/- (एककीस लाख छब्बीस हजार रुपये) मात्र में से राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, कांके, राँची के लिए रु0 2,20,000/- (दो लाख बीस हजार रुपये) मात्र के व्यय हेतु निधि का आवंटन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, कांके, राँची के स्थापना व्यय हेतु मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, 03- विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष-103-राजकीय कॉलेज तथा संस्थान, उपशीर्ष-BK- राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में प्राप्त बजट उपबंधित राशि कुल रु0 2,20,000/- (दो लाख बीस हजार रुपये) मात्र के व्यय हेतु निधि का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है -

विस्तृत शीर्ष	मद	विपत्र कोड	वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राप्त एवं आवंटित राशि
1	2	3	4
03	प्रशासनिक व्यय		
15	कार्यालय व्यय	21S220203103BK000315	20,000=00
37	विद्युत व्यय	21S220203103BK000337	2,00,000=00
	योग -		2,20,000=00

(दो लाख बीस हजार रुपये) मात्र

2. उपरोक्त स्तम्भ(4) द्वारा आवंटित राशि की निकासी, क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, राँची (प्रभारी प्राचार्य, राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, कांके, राँची, DDO Code- RNCEDN112) के द्वारा की जायेगी। सभी विपत्रों पर विपत्र कोड संख्या अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा।

3. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, राँची से की जायेगी।

4. राशि के व्यय में मितव्ययिता अवश्य बरती जाय।

5. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक 2561(वि0) (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 दिनांक 15.07.2003 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आवंटित की जा रही है।

6. आवंटित राशि से चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के वेतन का भुगतान एवं पूर्व वित्तीय वर्ष के बकाया वेतन का भुगतान हेतु राशि की निकासी की जा सकेगी।

7. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

8. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9. आवंटित राशि का दूसरे मदों में दुर्विनियोग या विचलन कदापि नहीं किया जायेगा।

अनुलग्नक - ऑन लाईन आवंटन से संबंधित विवरणी

विश्वासभाजन,


(गरिमा सिंह)

निदेशक, उच्च शिक्षा।



ज्ञापांक-3/वि1-05/2018(उ0शि0).....64/955/रॉची, दिनांक-.....16/05/2023

प्रतिलिपि -महालेखाकार, झारखण्ड, रॉची/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, रॉची/क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, रॉची/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित एवं सहायक निदेशक, तकनीकी शिक्षा-सह-नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

98/15/5
(गरिमा सिंह)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

Shri J. S.



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Higher and Technical Education Department (Higher Education Division)

चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 3/V1-05/2018/64/BUDGET

दिनांक - 16-May-2023

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 21 220203103BK000315 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 103 - राजकीय कॉलेज तथा संस्थान BK - राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय 00-NA 03 - प्रशासनिक व्यय Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	24220	RNCEDN112 PUSHPA KUJUR PRI.R.T.T.C.RANCHI	20,000.00 रुपये बीस हजार
2	S 21 220203103BK000337 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 103 - राजकीय कॉलेज तथा संस्थान BK - राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय 00-NA 03 - प्रशासनिक व्यय Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	24221	RNCEDN112 PUSHPA KUJUR PRI.R.T.T.C.RANCHI	200,000.00 रुपये दो लाख

योग: रुपये दो लाख बीस हजार

क्रमिक योग:

(GARIMA SINGH)
DIRECTOR